तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/1/23	पत्रा० आज पेश हुई। पक्षकार उप। ग्रा० प्रधा- न LRTA अधिकारी आया [illegible] [illegible] [illegible] अपना [illegible] [illegible] पूर्वक [illegible] प्रकार कराया गया। प्रा० [illegible] [illegible] कुमार [illegible] [illegible] [illegible]	

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ पालानीचामी I.A.S.)

प्रकरण सं. 158/2018
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2018/000345
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक .....4/1/23....

1. प्रभाती पुत्र कंचन जाति जाट निवासी खॉगरी तह. नदबई जिला भरतपुर।
2. अर्जुन कंचन जाति जाट निवासी खॉगरी तह. नदबई जिला भरतपुर।
3. योगेन्द्र पुत्र लक्ष्मन जाट निवासी खॉगरी तह. नदबई जिला भरतपुर।
4. श्रामवीर पुत्र लक्ष्मन जाट निवासी खॉगरी तह. नदबई जिला भरतपुर।
5. खैमसिंह पुत्र लक्ष्मन जाट निवासी खॉगरी तह. नदबई जिला भरतपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. रामखिलाड़ी पुत्र कंन्दन जाति जाट निवासी खॉगरी तहसील नदबई(भरतपुर)
2. किन्नो पुत्री कुन्दन जाति जाट निवासी खॉगरी तहसील नदबई(भरतपुर)
3. बरफी पुत्री कुन्दन जाति जाट निवासी खॉगरी तहसील नदबई(भरतपुर)
4. हटीली उर्फ अंगूरी जाति जाट निवासी खॉगरी तहसील नदबई(भरतपुर)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
6. सबरजिस्ट्रार महोद्य नदबई।

अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री फूलसिंह सिनसिनवार एड.(प्रार्थी की ओर से)

श्री महेन्द्रसिंह मीना एड.(अप्रार्थी की ओर से)

निर्णय

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. यह है कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।
2. यह है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल बंन्दोबस्ती 3247 रकवा 0.19 हैक्ट. वाके ग्राम खॉगरी तहसील नदबई स्थित है। जिसके मूल खातेदार सोनपाल पुत्र ननुआ की खातंदारी का अंकन है। के स्थान पर विरासत उनके

नमासे नमांसी गैर सायलान के नाम गलत रूप से इन्द्राजात दर्ज रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है।

3. यह है कि उपरोक्त आराजी के साबिक ख.न. 953 रकवा 1 बी. 4 विस्वा पर सायलान के पिता/बाब कंचन संवत 2012 से पूर्व ही व हैसियत उप कृषक (शिकमी) काबिज ही काश्त करते चले आ रहे थें। जिसके इन्द्राजात राजस्व रिकॉर्ड में वक्त भू.प्र. संवत 2028 तक चलते रहे थे। उसके बाद सरकार ने इस प्रकार शिकमी के इन्द्राजात बंदकर दिये लेकिन उक्त प्रकार उप कृषक के इन्द्राजात के आधार पर सायलान के पिता/बाबा स्व. कंचन को उक्त आराजी पर स्वतः ही खातेदारी अधिकार धारा 19(1 ए) राज.टी.एक्ट के तहत प्राप्त हो चुके थे लेकिन गैरसायलान के नाम इन्द्राजात राज्य सरकार के कर्मचारियो ने गलत रूप से दर्ज किये जबकि सायलान आने पिता/बाबा के देहान्त उपरान्त उक्त आराजी पर काबिज ही बदस्तूर काश्त करते चले आ रहे है लिहाजा सायलान को अपने पिता/बाबा कंचन के स्थान पर विरासतन खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा इन्द्राजात वहक गैरसयालान काबिल कलमजन के है।

4. यह है कि आराजी वाके ग्राम खांगरी पर सायलान बदस्तूर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन गैरसायलान के नाम हो रहे गलत इन्द्राजात के आधार पर उन्हौने सायलान को आराजी से बेदखल करने व गैरसायलान स. 5 व 6 की सहायता से दीगर व्यक्तीयो को रहन बय मुन्तकिल करने कि धमकी दिनांक 20.10.2018 को व मुकाम खांगरी पर दी गई है और गैरसायलान अपनी दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो सायलान, गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द करा पाने के अधिकारी है कि गैरसायलान आराजी वाके ग्राम खांगरी से सायलान को बेदखल नहीं करे व दीगर व्यक्तियो को रहन बय मुन्तकिल नही करें व रिकॉर्ड व मौके कि यथा स्थिति बनाऐ रखे।

5. यह है कि प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन सायलान के हक में है। अत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए स्वीकार किया जाकर आराजी वाके ग्राम खांगरी से सायलान को बेदखल नहीं करे व दीगर व्यक्तियो को रहन बय मुन्तकिल नही करें व रिकॉर्ड व मौके कि यथा स्थिति बनाऐ रखे।

6. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 4 की ओर से श्री महेन्द्रसिंह मीना एड0 उपथित हुऐ, शेष अप्रार्थी सं. 5 व 6 के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 4 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा अपने जबाब प्रार्थना पत्र में निम्नांकित तथ्यो का उल्लेख किया गया।

1. यह है कि मंद स. 1 प्रार्थन पत्र स्वीकरार है।

2. यह है कि मंद स. 2 आराजी मुतनाजा ग्राम वाके खांगरी होना स्वीकार है अन्य कथन अस्वीकार है। क्योकि आराजी मुतनाजा प्रति. को इ.न. 159 को कलमजन कर जरिये तहसीलदार नदबई इ.न. 748 द्वारा सौमौती वेवा कुन्दन को प्राप्त हुई।

3. यह है कि प्रा.पत्र की मंद स. 3 मनगढन्त व रिकॉर्ड के अभाव से स्वीकार नही है चूकि 2012 के रिकॉर्ड व हाल साबिक रिकॉर्ड से सिद्ध कर मान्यता होगी अन्यथा स्वीकार नही है।

4. यह है कि प्रा.पत्र मंद स. 4 वाके ग्राम खांगरी का सायल का स्वीकार नही है औश्र ना ही धमकी बाबत कथन कब्जा विहीन होते हुऐ आरोपित करना स्वीकार नही है। ना हि प्रार्थना पत्र वर्णित रहन बय मुन्तकिल न करने हेतु अधिकार विहिन वर्णन सायलान को स्वीकार नही है।

7. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संबत 2074–2077 वाके ग्राम खांगरी, नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2028 एवं 2060 वाके ग्राम खांगरी, नकल खसरा भूप्रबंधक विभाग संवत 2021, नकल जमाबन्दी संवत 2012 वाके ग्रांम खांगरी तहसील नदबई पेश की गयी।

8. वकील अप्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप नकल नामान्तकरन स. 159 वाके ग्राम खांगरी , नकल नामन्तकरन स. 746 दिनांक 17.06.89 केम्प खांगरी, नकल जमाबंन्दी खाता स. 734 संवत 2074–77 वाके ग्राम खांगरी पेश किये गये।

9. प्रार्थीगण के विद्वान वकील की प्रार्थना पत्र 212 आरटीए बहस सुनी गयी। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया। अप्रार्थी वकील ने बहस में किसी प्रकार के तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया।

10. हमने प्रार्थी के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तो पाया कि :–

(3) यह कि उपरोक्त आराजी वर्णित के साविक ख. नं. 953रकबा 1बी. 4वि
पर सायलान के पिता/बाबा कंवन सं. 2012 से पूर्व से ही व हैसियत उप कृषक

1.<u>प्राईमाफेसी केस</u>– प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आरटीए के तहत खातेदारी घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया गया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल बंन्दोबस्ती 3247 रकवा 0.19 हैक्ट. वाके ग्राम खॉगरी तहसील नदबई स्थित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल हाल जमाबंन्दी संवत 2074–77 में अप्रार्थीगण कि खातेदारी का अंकन हो रहा है। नकल खसरा भूप्रबंधक विभाग संवत 2021 में प्रार्थीगण के बाबा कंचन की खातेदारी का अंकन है। नकल जमाबंन्दी संवत 2012 वाके ग्रांम खांगरी पर आराजी के साबिक ख.न. 953 रकवा 1 बी. 4 विस्वा पर सायलान के पिता/बाब कंचन संवत 2012 से पूर्व ही व हैसियत उप कृषक (शिकमी) काबिज ही काश्त दर्ज रिकॉर्ड है। संवत 2012 से पूर्व ही प्रार्थीगण के पिता व बाबा के नाम उप कृषक (सिकमी) दर्ज चली आ रही है। जिसके इन्द्राजात राजस्व रिकॉर्ड में वक्त भू.प्र. संवत 2028 तक चलते रहे थे। परन्तु गैर सायलायन द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण संख्या 746 से सौमोती बेवा कुंदन के नाम दर्ज है एवं नामान्तरण संख्या 159 को कलमजन कर आराजी सौमोती बेवा कुन्दन को प्राप्त हुई इस प्रकार उपरोक्त विवादित आराजीयात संवत 2028 तक प्रार्थीगण के पिता व बाबा के नाम दर्ज रही है। संवत् 2028 के बाद का रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया है। न ही प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी पर कब्जे पर किसी प्रकार का कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा संवत् 2028 के बाद इंतकाल संख्या 748 से उक्त आराजी सौमोती बेवा कुंदन को प्राप्त हुई है। उस इंतकाल को प्रार्थीगण द्वारा 20 वर्ष तक भी चैलेंज नहीं किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त इन्द्राजात को आज तक चैलन्ज नही किया गया है एवं उप कृषक शिकमी जोताओ को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है तो उक्त विवादित आराजी में किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता इस प्रकार प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के हक में नहीं होकर अप्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है।

6. <u>सुविधा का सतुलन</u> –सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के हक में साबित है।

7. <u>अपूर्ण क्षति</u> – अगर उक्त स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा, जो एक अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी अप्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए अस्वीकार कर न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 23.10.2018 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04/01/23 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सिद्धार्थ पालानीचामी I.A.S.)
सहायक कलक्टर,नदबई